



भारतीय टेलीग्राफ अधिकार-संशोधन नयिम, 2022

प्रलिस के लयल:

5 जी, फाइबरइंजेशन, संबधतल सरकारी पहल, डजलटल इंडया मशलन और भारतनेट प्रोजेक्ट, डजलटल डवलड।

मेन्स के लयल:

इंडयलन टेलीग्राफ राइट ऑफ वे-संसोधन नयलम 2022।

चरचा में क्यौं?

देश में **5G नेटवरक** के रोलआउट/सार्वजानकल उपलब्धता सुनश्चितल करने में तेजी लाने के लयल संचार मंत्रालय ने **राइट ऑफ वे (RoW)** में संशोधन की घोषणा की।

संशोधन

- संशोधनों में शुल्क का युक्तकरण, एकल खड़की नकलसी प्रणाली की शुरुआत और नजी संपत्तल पर बुनयादी ढाँचा स्थापतल करने के लयल सरकारी प्राधकरण से सहमतल की आवश्यकता को समाप्त करना शामिल है।
- दूरसंचार लाइसेंसधारी नजी संपत्तल के मालकी के साथ समझौता कर सकते हैं और दूरसंचार बुनयादी ढाँचे जैसे टॉवर, पोल/खंभे या ऑप्टिकल फाइबर स्थापतल करने के लयल कसी भी सरकारी प्राधकरण से कसी भी अनुमतल की आवश्यकता नहीं होगी।
- केंद्र सरकार द्वारा अपने स्वामतित्व/नयितरण वाली भूमल पर खंभे लगाने के लयल कोई प्रशासनकल शुल्क नहीं लयल जाएगा।
 - राज्यों/केंद्रशासतल प्रदेशों के लयल यह शुल्क 1,000 रुपए प्रतल पोल तक सीमतल होगा। ओवरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर बछलने का शुल्क 1,000 रुपए प्रतल कलिलीमीटर तक सीमतल होगा।
- दूरसंचार कंपनयों को नजी भवन या संपत्तल पर मोबाइल टावर या खंभे की स्थापना से पहले, जहाँ मोबाइल टॉवर या पोल की स्थापना का प्रस्ताव है, उपयुक्त प्राधकरण को लखतल में जानकारी देने तथा दूरसंचार कंपनयों को संबधतल इमारत या संपत्तल का वविरण देने के साथ प्राधकरण से अधकृत इंजीनयलर द्वारा प्रमाणतल प्रमाणपत्र की एक प्रतल देने की जरूरत होगी।
- संशोधन RoW अनुप्रयोगों के लयल एकल खड़की नकलसी प्रणाली की सुवधल प्रदान करते हैं।
- संचार मंत्रालय का गतल शक्तल संचार पोर्टल सभी दूरसंचार संबंधी RoW एप्लीकेशन के लयल एकल खड़की पोर्टल होगा।
- दूरसंचार लाइसेंस ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना 150 रुपए और शहरी क्षेत्रों में सालाना 300 रुपए की मामूली लागत पर दूरसंचार उपकरणों को तैनात करने के लयल स्ट्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

इन संशोधनों की घोषणा आवश्यकता:

- संशोधनों की घोषणा दूरसंचार नेटवरक के उन्नयन और वसितार में तीव्रता लाने तथा मौजूदा बुनयादी ढाँचे पर 5G छोटे सेल की तैनाती का मार्ग प्रशस्त करने के लयल की गई है।
- मौजूदा बुनयादी ढाँचा सेवाओं के रोलआउट को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है। हालाँक, वशिषज्जों का कहना है ककम से कम 70% टेलीकॉम टावरों को 5G को इस तरह से रोल आउट करने के लयल मौजूदा 33 के स्तर से फाइबरयुक्त करने की आवश्यकता है जो इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करता है।
 - 2G और 3G वायरलेस प्रौद्योगकलयों की तुलना में बढ़ती डेटा खपत और वकलस के कारण 5G के लयल फाइबरीकरण आवश्यक है, जो एक साझा नेटवरक पर काम करते हैं और डेटा भार में वृद्धल को संभालने की सीमतल क्षमता रखते हैं।
- मौजूदा बुनयादी ढाँचे तक पहुँच नए बुनयादी ढाँचे की तैनाती और इसमें शामिल उच्च लागत, दूरसंचार क्षेत्र के सामने हमेशा प्रमुख चुनौतयों के रूप में वयाप्त थी, जनकल समाधान कयल जा सकेगा।

इस कदम का महत्त्व:

- दूरसंचार उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों को समान महत्त्व दे रहा है, यह अनुमान है कबिगले 2-3 वर्षों में 5G सेवाएँ देश के लगभग सभी हसिसों में पहुँच जाएँगी ।
- संशोधन प्रौद्योगिकी का तेज़ी से रोल-आउट सुनशिचति करेगा और 5G के सपने को भारत को साकार करने में सक्षम बनाएगा ।
- डजिटिल इंडिया मशिन और भारतनेट परयोजना के अनुरूप ग्रामीण-शहरी और अमीर-गरीब के बीच की डजिटल डवाइड को समाप्त कर दिया जाएगा ।
- ई-गवर्नेंस और वत्तिलीय समावेशन को मजबूत कथिा जाएगा ।
- व्यापार करने में आसानी होगी ।
- नागरकों और उद्यमों की सूचना और संचार ज़रूरतों (5G सहति) को पूरा कथिा जाएगा ।
- भारत के डजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन के सपने को हकीकत में तबदील कथिा जाएगा ।

स्रोत: द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/indian-telegraph-right-of-way-amendment-rules,-2022>

